प्रतिवेदन

आज दिनांक 25.01.2025 को 15 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस एंव 36वां सड़क सुरक्षा माह 2025 के अवसर पर शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बलरामपुर में प्राचार्य श्री अगस्टीन कुजूर सर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस एंव सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से श्री बिमलेश कुमार देवांगन यातायात प्रभारी बलरामपुर, श्री जबलुनल कुजूर सहायक उपनिरीक्षक, की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम मंच सचालक डॉ. अखिलेश कुमार यादव के द्वारा अतिथियों का परिचय एंव पुष्प गुच्छ से

स्वागत किया गया। तत्पश्चात संस्था के प्राचार्य आदरणीय श्री अगस्टीन कुजूर सर के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत, अपने उद्बोधन के द्वारा किया गया तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक एंव शांति पूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु महाविद्यालय के छात्राओं को मतदाता शपथ दिलायी गई।

इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत श्री बिमलेश कुमार देंवागन यातायात प्रभारी के द्वारा छात्राओं को यातायात नियमों का पालन एंव सावधानियां बरतनें तथा अर्थदण्ड एंव परेशानियों से बचने के उपाय बतायें गये। एंव उन्होनें अपने उद्बोधन में बताया कि, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 19 एंव केन्द्रीय मोटर नियम 1989 के नियम 21 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत 5 प्रकार के अपराधों के उल्लघंन करने पर 03 महीने की अवधि के लिए ड्रायविंग लायसेंस निलंबन किया जा सकता है। जैसे गतिसीमा अधिक ,नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग,रेड सिग्नल जम्प आदि। और उन्होनें सड़क दुर्घटना से बचने के कई उपाय बताये। कार्यक्रम के अंत में श्री ब्लासियुस एक्का सहा. प्राध्यापक, हिन्दी के द्वारा आभार प्रकट किया गया।

इस अवसर पर यातायात विभाग, बलरामपुर से गोविन्द राम राठौर प्रधान आरक्षक, श्री मंगल सिंह, श्री कुमार सानू, श्रीमती सुशान्ति खलखो आरक्षक एंव महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री अमरदीप एक्का, डॉ. आयुषी गुप्ता, श्रीमती कमला सिंह, सुश्री गंगोत्री पैंकरा, श्री हेमंन्त कुमार यादव, श्री ह्रदयनाथ विश्वकर्मा सहायक ग्रेड–1 एंव अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे।